न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 135/2024 दायर दिनांकः 01.10.2024

उनवान

मांगीबाई पुत्री कंवरलाल जाति दांगी नि. हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर

— प्रार्थीया

बनाम

1. कैलाशचन्द पुत्र गोकुल जाति दांगी नि. हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर
2. मनोहर पुत्र गोकुल जाति दांगी नि. हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर
3. रमेश पुत्र गोकुल जाति दांगी नि. हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर
4. मेहताब पुत्र जगन्नाथ जाति दांगी नि. हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर
5. बदामबाई पत्नि कैलाशचन्द जाति दांगी नि. हिम्मतगढ़ तहसील रायपुर

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण :—

प्रार्थीया — श्री महेन्द्रसिंह जैन

अप्रार्थी सं. 1 से 3 व 5 — श्री सुभाष दांगी

अप्रार्थी सं. 4 — एकतरफा

निर्णय

दिनाकः 28.04.2025

पत्रावली माननीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 19.07.2024 की पालना में पुनः पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि ग्राम फतेहगढ़ प.ह. फतेहगढ़ तहसील पिड़ावा की आराजी खाता सं. 317 के खसरा नंबर 292/1090 रकबा 1.1300 हे. (1 बीघा 13 बिस्वा) प्रार्थीया के शामलाती खाते में दर्ज है। उक्त आराजी मौके पर प्रार्थीया के हिस्से में आई होकर प्रार्थीया के कब्जे काश्त में चली आ रही है। नकल जमाबंदी खाता सम्वत् 2073-76 (वर्ष 2020) पेश है। यह कि प्रार्थीया की खसरा नं. 292/1090 पर जाने आने का रास्ता अप्रार्थीगण के नाम दर्ज आराजी खसरा नं. 1227/292 रक[illegible] प्रार्थीया का खसरा नं. 292/1090 खसरा नं. 29[illegible] से बना है तथा अप्रार्थी[illegible] का खसरा नं. 1227/292 भी खसरा नं. 29[illegible] से बना है। परन्तु [illegible] नं. 292 के [illegible]।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अलग–अलग खातेदार होकर अलग–अलग बटा नम्बर बने है। प्रार्थीया की आराजी पर जाने का रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी में से होकर रहा है। जिसें अप्रार्थीगण ने बंद कर दिया है। यह कि प्रार्थीया ने उक्त रास्ते को खुलासा कराने के लिए धारा 251 आर०टी०एक्ट के तहत तहसीलदार महोदय पिडावा के यहां रास्ता खुलासा कराने की कार्यवाही की थी परन्तु तहसीलदार के निर्णय दिनांक 24.06.2020 से प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र यह कहते हुये की प्रार्थीया धारा 251ए आर०टी०एक्ट के तहत रास्ता प्राप्त कर सकती है और प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया। इस कारण यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रार्थीया की आराजी पर जाने का रेकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है ना ही स्वीकृत रास्ता है। यह कि उक्त रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थीया की आवश्यकता अत्यन्त आवश्यकता है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। [The necessity is absolute necessity and is not for mere convenien enjoyment of Holding] यह कि प्रार्थीया को अपनी आराजी खसरा नं. 292/1090 पर जाने आने ट्रेक्टर, सामद इत्यादि लाने ले जाने के लिए 12 फिट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है। यह कि प्रार्थीया रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रूप में मुआवजे के बदले माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि क़ाश्तकारी नियम 71(1) (i) (ii) के अनुसार भुगतान करने के लिए तत्पर है। यह कि प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम फतेहगढ़ तह. रायपुर की आराजी खसरा नंबर 292/1090 रकबा 0.4173 हे. प्रार्थीया की आराजी पर जाने आने का रास्ता 12 फिट चौडा अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नं. 1227/292 रकबा 2.7822 हे0 में होकर पूर्व से पश्चिम स्वीकृत किया जावें, रास्ता भूमि राजस्व रेकॉर्ड में अभिलिखित किया जावे।

2. प्रकरण माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 19.07.2024 की पालना में पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये [illegible] सूचना पत्र की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 3 व 5 की ओर से एडवोकेट श्री सुभाष दांगी उपस्थित हुए। अप्रार्थी सं. 4 के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आदेशिका दिनांक 02.04.2025 से अप्रार्थी सं. 4 के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश किया गया। अप्रार्थी सं. 1 से 3 व 5 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि ग्राम फतेहगढ में आराजी खसरा न. 292/1090 रकबा 1.1300 है. गलत है उक्त आराजी प्रार्थीया के हिस्से कब्जे काश्त मे चली आना गलत है। बल्कि आराजी प्रार्थीया के केवल खाते मे गलत तरिके से दर्ज हो गई है। प्रार्थीया को उसके जीवनकाल में आज तक कोई कब्जा काश्त नही रहा है प्रार्थीया के पिता का नाम कंवरलाल पुत्र रामलाल व अप्रार्थी 1, 2, 3 के दादाजी का नाम कंवरलाल पुत्र रामलाल एक जैसे होने से भूमि प्रार्थीया के पुत्र ने जालसाजीपूर्वक अवैध नाम प्रार्थीया के खाते गलत दर्ज करवा ली है उक्त भूमि अप्रार्थीगण के परिवार के किशनलालजी के हिस्से आई थी, जिसे उन्होने अभी पडत छोड रखी है जिस कारण प्रार्थना पत्र भ्रामक व गलत तथ्यो पर होने से काबिल खारिज है। यह कि खसरा न. 292/1090 पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि मे से कभी भी नही रहा है खसरा न. 292/1090 खसरा न. 292 से बना है जो भी अप्रार्थीगण के बाप दादाओ का रहा है लेकिन उक्त खसरा न. 292/1090 प्रार्थीया के खाते गलत दर्ज हो गया है। खसरा न. 1227/292 व खसरा न. 292/1090 के बीच मौके पर बडा बरसाती नाला निकला हुआ है जिस नाले में फतेहगढ का बरसाती पानी आकर फतेहगढ के खाल मे मिलकर चंवली नदी मे खेजरपुर गांव के पास मिलता है उक्त प्राकृतिक बरसाती नाले के कारण ही दोनो खेत खसरा न. 1227/292 व 292/1090 अलग अलग बंटे हुए है इसी बरसाती नाले की वजह से खसरा न. 1227/292 पर फतेहगढ़ के रास्ते से होकर तथा खसरा न. 292/1090 पर हिम्मतगढ के रास्ते की तरफ के खेतो से होकर अप्रार्थीगण खेती करते थे। खसरा न. 292/1090 का रास्ता बडे बरसाती नाले के कारण फतेहगढ की तरफ से संभव नही है। क्योकिं फतेहगढ कि तरफ से रास्ता बनाने पर खसरा न. 292/1090 के बीच बरसाती नाले का बहाव अवरूध्द होने से अप्रार्थीगण का पूरा खेत फसल खसरा न 1227/292 रकबा 2.7822 हेक्टेयर भूमि बरसात मे जलमग्न होकर नष्ट हो जावेगी ओ अप्रार्थीगण का पूरा खेत खुर्दबुर्द हो जावेगा जिससे अप्रार्थीगण की पूरी कृषि बरबाद जावेगी जिस कारण खसरा न. 292/1090 का रास्ता खसरा न. 1227/292 से होकर संभव नही है,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

तथा कभी भी उसका रास्ता फतेहगढ़ कि तरफ से नही रहा है प्रार्थीया अप्रार्थीगण को नुकसान करने कि गरज से भ्रामक, बनावटी गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। चलने योग्य नही है। यह कि उक्त पेरे के समस्त तथ्य गलत व झुठे होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने तहसीलदार पिडावा के यहा भी गलत झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमे भी फतेहगढ़ कि तरफ से रास्ता मांगा गया था जबकि प्रार्थीया हिम्मतगढ़ रहती है मौके पर रास्ते की तरफ फतेहगढ़ कि तरफ से बरसाती नाला पडने से ही फतेहगढ़ कि तरफ कभी रास्ता नही रहने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया था फिर भी प्रार्थीया ने जानबुझकर डिफेक्टिव व गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थीया केवल अप्रार्थीगण के खेत को नष्ट करने बरसाती नाले के पानी से अप्रार्थीगण कि फसल को खुर्दबुर्द करने की नियत से बनावटी तथ्यों पर गलत प्रार्थना पत्र पेंश किया गया है। जबकि उन्हें पता है कि खसरा न. 292/1090 पूर्व में हिम्मतगढ़ की तरफ से ही काश्त किया जाता था। जो अब प्रार्थीया के विवाद करने से पडत पड़ा हुआ है। जो पटवारी रिपोर्ट में भी स्पष्ट अंकित है कि उक्त खसरा न. 292/1090 पर हिम्मतगढ़ के रास्ते से आते जाते रहे है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र डिफेक्टिव होकर भारी कोस्ट पर खारिज योग्य है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य गलत व निराधार होने व पटवारी रिपोर्ट के विपरित बनावटी दर्ज होने से अस्वीकार है। उक्त खसरा न. का वेकल्पिक रास्ता हिम्मतगढ़ की तरफ से रहा है जो उक्त खातेदारों के खेतो से आता था लेकिन प्रार्थीया ने उक्त खसरा न. पर पिता का नाम कंवरलाल व अप्रार्थीगण के दादाजी का भी नाम कंवरलाल होने से प्रार्थीया के पुत्र ने जालसाजीपूर्वक प्रार्थीया का नाम उक्त खसरा न. पर गलत अवेध दर्ज करवा लिया है इसी कारण प्रार्थीया ने पूर्व मे भी धारा 183, 209 का दावा काश्तकार किशनलाल वगेराह के खिलाफ किया था जो प्रशासन गावो के संग शिविर में खारिज हुआ है। यह कि उक्त पेरे के समस्त तथ्य कतई निराधार व बनावटी दर्ज किये गये है जो अस्वीकार है। खसरा न. 292/1090 का रास्ता फतेहगढ़ के खेतों से होकर चाहा गया है जहां खसरा न. 292/1090 व खसरा न. 1227/292 [illegible] बरसाती नाला मोझूद है जो रास्ता निकालने से नाला अवरुध्द हो जावेगा जिससे अप्रार्थीगण को भारी अपूर्णीय क्षति होगी और पूरी खेती बरबाद हो जावेगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

जिस कारण फतेहगढ़ कि तरफ से खेतो मे रास्ता संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र ही गलत पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टिया ही खारिज योग्य है। यह कि उक्त पेरे के समस्त तथ्य कतई निराधार व बनावटी गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने कही भी यह अंकित नहीं किया कि किस खसरा न. कि किस मेढ पर होकर तथा मुख्य रास्ता कहा तक मोझूद है। प्रार्थना पत्र अधुरे तथ्यो पर होने से भी खारिज योग्य है। अप्रार्थीगण के खेतो से होकर चाहा गया रास्ता बहुत अधिक लम्बा होने से भी युक्तियुक्त व उचित नही है तथा दुसरा विकल्प भी अप्रार्थीगण के खेत के बीच से होकर पटवारी रिपोर्ट में गलत दर्ज किया गया है जिस पर अप्रार्थीगण को भारी आपत्ति है। यह कि उक्त पेरे के तथ्य गलत है अस्वीकार है। खातेदारों की कृषि भूमि का नुकसान प्रतिकर से संभव नहीं है। क्योकि उक्त भूमि का बाजार मुल्य व प्रतिकर में अत्यधिक अन्तर होने से कोई भी प्रतिकर देने को तैयार होने से अंन्य खातेदारो की कीमत भूमि खेत के बीच रास्ता देकर अपूर्णीय क्षति कारित नहीं कि जा सकती है तथा नये रास्ते कि आड में बरसाती नाला अवरूद्ध करने कि अनुमति प्रार्थीया को कानुनन नहीं दी जा सकती है। यह कि उक्त पेरा के तथ्य अस्वीकार है चाहा गयी सहायता गलत है अस्वीकार है। निराधार डिफेक्टिव प्रार्थना पत्र से प्रार्थीया कोई सहायता पाने की पात्र नही है। **विशेष आपत्तियां** – यह कि प्रार्थना पत्र में सही तथ्यो को छिपाकर डिफेक्टिव व अधुरे तथ्यो का प्रार्थना पत्र गलत व झुठा महज अप्रार्थीया की कृषि भूमि को बरबाद करने नुकसान करने की गरज से पेश किया गया है जो प्रथम दृष्टिया भारी कोष्ट पर खारिज योग्य है। यह कि खसरा न. 292/1090 का रास्ता कभी भी फतेहगढ़ के खेतों से होकर नहीं जाता है ओर संभव भी नहीं है। क्योकिं खसरा न. 292/1090 व फतेहगढ़ के अप्रार्थीगण के खेत व खसरा न. 1227/292 रकबा 2.7822 है के बीच मौके पर बडा बरसाती नाला मोजूद है रास्ता बनाने पर नाला अवरूध्द होकर अप्रार्थीगण की भूमि खसरा न. 1227/292 रकबा 2.7822 हेक्टेयर कृषि भूमि की फसल को नष्टकर बरबाद कर देंगे जिस कारण अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी अप्रार्थीगण का खेत फसल खुर्दबुर्द हो ज[illegible]साती नाले को अवरूध्द नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज है। यह कि खसरा न. 1227/292 व खसरा न. 292/1090 के बीच बडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

बरसाती नाला होने से अप्रार्थीगण के बाप–दादाओ के समय से ही खसरा न. 1227/292 का रास्ता फतेहगढ़ कि तरफ से व खसरा न. 292/1090 का रास्ता हिम्मतगढ़ कि तरफ से रहा है जिस कारण भी प्रार्थना पत्र गलत होने से प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। यह कि तहसीलदार आइ.एल.आर. रिर्पोट दिंनाक 26.11.2024 में स्पष्ट उल्लेख है कि खसरा न. 292/1090 को पूर्व में खातेदार किशनलाल पुत्र रामचन्द्र स्वंय कि आराजी में होकर ग्राम हिम्मतगढ़ कि खातेदारी में स्थित प्रचलित रास्तो से बरसो बरस उक्त आराजी खसरा न. 292/1090 को काश्त कर हा था क्योकिं किशनलाल पुत्र रामचन्द्र अप्रार्थीगण के दादा कवंरलाल पुत्र रामलाल के भाई है ओर उक्त भूमि किशनलाल के हिस्से आने से ही वे बरसो बरस बाप–दादाओ के समय से ही हिम्मतगढ़ कि खातेदारी की स्वय की आराजी से होकर उक्त खसरा न. 292/1090 पर काश्त कर रहे थे लेकिन अप्रार्थीगण के दादा का कवरलाल पुत्र रामलाल व प्रार्थीया के पिता का नाम भी कवरलाल पुत्र रामलाल एक जैसा से होने से अप्रार्थीगण की जानकारी के पिछे से उक्त भूमि पर प्रार्थीया का नाम अवैध व गलत दर्ज हो जाने का अवैध फायदा उठा रहे है जिसका उसे कोई अधिकार नही है उक्त खेत किशनलाल का है प्रार्थीया का नही है जिस कारण ही प्रार्थीया का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। इस कारण भी खसरा न. 292/1092 का रास्ता हिम्मतगढ़ कि तरफ रहा है इसीलिए फतेहगढ की तरफ बरसाती नाले को अवरूध्द कर नया रास्ता फतेहगढ़ की तरफ दिया जाना संभव नही होने से भी प्रार्थना पत्र भारी कोष्ट पर खारिज योग्य है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार रायपुर की रिर्पोट से होती है। यह कि तहसीलदार आइ.एल.आर.व हिम्मतगढ़ पटवारी रिर्पोट फतेहगढ़ के नजरी नक्शे मे खसरा न 1227/292 के बीच होकर भी रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो कानुनन गलत है किसी खातेदार को रास्ता देने के लिए अन्य खातेदार के खेतों के बीच होकर नया रास्ता निकालने से धारा 251ए. का सरासर दुरुपयोग होगा अप्रार्थीगण के खेत के बीच होकर नया रास्ता देना न्यायोचित नहीं है। यह कि प्रार्थीया ने प्रचलित रास्तो कि तरफ हिम्मतगढ़ कि तरफ से रास्ता नही [illegible]लत तरिके से महज अप्रार्थीगण की खेती को बरबाद करने की नियत से बरसाती नाले से होकर रास्ता चाहा गया है जो नाला अवरुद्ध होकर अप्रार्थीगण की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा न 1227/292 रकबा 2.7822 की फसल को नष्ट खुर्दबुर्द कर देगा जिससे अप्रार्थीगण को अपुर्णीय क्षति कारित होगी इसलिए फतेहगढ कि तरफ से रास्ता दिया जाना सभव नही है। यह कि अप्रार्थीगण के फतेहगढ़ के खेतो के नाले से होकर नया रास्ता संभव नही होने पर भी नये रास्ते कि आड में बरसाती नाला अवरूद्ध कर अप्रार्थीगण की फसल कृषि को बरबाद करने कि नियत से झुठा डिफेक्टिव प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को तंग परेशान व नुकसान करने कि गरज से पेश किया गया है इस कारण अप्रार्थीगण विशेष हर्जा खर्चा 25000/– प्रार्थीया से पाने के पात्र है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय विशेष आपत्तियों के पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर अन्य न्यायोचित सहायता व विशेष हर्जा खर्चा 25000/– अप्रार्थीगण को प्रार्थीया से दिलाया जावे।

3. प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से पुनः मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्रांक 1406 दिनांक 10.12.2024 से जांच रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार ग्राम फतेहगढ़ की आराजी ख.नं. 292/1090 की मोका एवं राजस्व रिकार्ड की वस्तुस्थिति रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त प्रकरण में राजस्व रिकार्ड का निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ है कि उक्त आराजी खसरा में. 292/1090 ग्राम फतेहगढ की आराजी खाता सं. 317 रकबा 0.4173 है० भूमि खातेदार धापूबाई पुत्री खातेदारी में है। उक्त प्रकरण में पटवारी प०म० फतेहगढ व हिम्मतगढ एवं उनवान मांगीबाई व कैलाशचन्द एवं ग्रामवासी की उपास्थिति मे उक्त आराजी ख. नं. 292/1090 का मौका देखा गया। उक्त भूमि बर्तमान में पडत पड़ी हुई है। उक्त भूमि में रास्ते हेतु वादी मांगीबाई के प्रतिनिधी बापूलाल पि. गोकुल जाति दाँगी कि हिम्मतगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि पर पूर्व में किशनलाल पि. रामचन्दर जाति दांगी नि. हिम्मतगढ का कब्जा था। जो कि माननीय न्यायालय के आदेश से लगभग 4 वर्ष पूर्व मुझ खातेदार को संभलाया गया। तत्समय से ही मेरी उक्त आराजी रास्ते के अभाव में पडत पड़ी है। मेरे कब्जा लेने के पूर्व किशनलाल पि. रामचन्दर ग्राम हिम्मतगढ की स्वयं की आराजी में होकर उक्त भूमि पर आता जाता होकर कब्जा काश्त कर रहा था। ग्रामवासी द्वारा अवगत कराया कि किशनलाल पि. रामचन्दर ग्राम हिम्मतगढ की खातेदारी में स्थित प्रचलित रास्ते से ... वर्ष उक्त आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... जिला झालावाड़
Scanned with OKEN Scanner

खाता सं. 292/1090 पर काश्त कर रहा था। उक्त भूमि पर जान हेतु रास्ते हेतु माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में दि. 27.10.2021 के निर्णय अनुसार ग्राम फतेहगढ़ के खाता सं. 328 की दक्षिण मेर 12 फीट चौडा 290 फीट लम्बा अर्थात 03 बिस्वा भूमि खातेदार मेहताब पि. जगन्नाथ व ख.नं. 329 में 12 फीट चौडा व 165 फीट लम्बा अर्थात 1 बिस्वा भूमि बदामबाई पत्नी कैलाशचन्द एवं रमेशचन्द कैलाशचन्द पि. गोकुल की आरानी ख.न. 1227/292 में 12 फीट चौडा व 270 फीट लम्बा यानि 02 बिस्वा भूमि रास्ते हेतु दी गई थी। उक्त सम्बन्ध में रास्ते हेतु ग्राम हिम्मतगढ की आराजी ख.न 656 तक की दक्षिणी पूर्वी मेड़ पर रास्ता बना है जो प्रचलित होना प्रतीत होता है। उक्त आराजी ख.नं. 656 में आराजी ख.न. 655 एवं 658 के मध्य होते हुए 12 फीट चौडा व 227 फीट लम्बा ख.न. 655 में पश्चिमी मेर पर व आरानी ख.न. 658 की उतरी मेड पर 462 फीट लम्बा व 12 फिट चौडा यानि 5544 वर्ग फीट कुल कुल 0.0515 है. एवं ख.नं. 658 की पूर्वी मेड पर 165 फीट लम्बा व 12 फीट चोडा कुल 1980 वर्ग फीट यानि 0.0185 है. भूमि रास्ते हेतु योग्य है व ग्राम फतेहगढ में भी अतिरिक्त रास्ता दिये जाने हेतु ग्राम फतेहगढ़ की आराजी खसरा संख्या 318 की उतरी मेड़ पर 256 फीट लम्बा व 12 फिट चोडा यानि कुल 3072 वर्ग फीट यानि 0.0285 है. व खसरा नं 1227/292 में 248 फीट लम्बा 12 फीट चौडा कुल 2976 वर्ग फीट यानि 0.0276 है. भूमि एवं आराजी ख.नं. 316 रकबा 0.1518 है. गे. मु. रास्ता से होकर दिया जा सकता है। ग्राम हिम्मतढ की आराजी ख.नं. 655, 658 व ग्राम फतेहग्ढ की ख.नं. 318, 316, 1227/292 की नकल जमाबंदी एवं नजरी नक्शा दिनांक 06.12.2024 संलग्न किया।

4. प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम फतेहगढ का खाता सं. 308, 317 जमाबंदी सं. 2073–76, नक्शा दिनांक 08.09.2021, खसरा नक्शा दिनांक 04.03.2021, न्यायालय तहसीलदार पिडावा का प्रकरण मांगीबाई बनाम मेहताब निर्णय दिनांक 24.06.2020, खसरा नक्शा दिनांक 10.02.2020 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की।

5. अप्रार्थी सं. 1 से 3 व 5 की ओर से जवाब [illegible] के समर्थन में कैलाशचन्द पि. गोकुल प्रसाद का शपथ पत्र एवं खसरा [illegible] दिनांक 07.01.2025 अप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

6. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित विन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम फतेहगढ स्थित प्रार्थीया की आराजी ख.नं. 292/1090 रकबा 0.4173 है. के लगवा अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 1227/292 रकवा 2.7822 है. भूमि है। बंटवारा होकर प्रथक प्रथक खसरा न. बनने से पूर्व दोनो पक्षों की भूमि का मूल ख.नं. 292 था। प्रारम्भ से ही प्रार्थीया अपने हिस्से तक पहूँचने के लिए नये नं. 1227/292 के मध्य से बनी मेड पर होकर ख. नं. 318 व 319 की दक्षिण मेड से होकर अस्थायी रास्ते का उपयोग करती आई है लेकिन कुछ वर्ष पूर्व अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के उक्त अस्थायी रास्ते को बंद कर दिया गया है जिससे प्रार्थीया का खेत पडत पडा हुआ है। प्रार्थीया अपने खेत में फसल नहीं बो पा रही है और मजबूरन भूमि पडौसी काश्तकारो को पांति/बंटाई पर देनी पड रही है जिससे प्रार्थीया के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। अतः रास्ता प्रार्थीया की नितान्त आवश्यकता है। अभिभाषक प्रार्थीया ने आगे कथन किया कि प्रार्थीया की भूमि खनं. 292/1090 तक पहूँच हेतु न तो कोई भी रिकार्डेड रास्ता दर्ज है और न ही अन्य कोई वैकल्पिक चालू रास्ता है। प्रार्थीया अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्तपर है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपनी आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 1227/292 रकबा 2.7822 है. से होकर मध्य मेड के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

7. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीया की भूमि राजस्व ग्राम फतेहगढ एवं राजस्व ग्राम हिम्मतगढ की सीमा पर स्थित है। प्रार्थीया की अराजी के पश्चिम दिशा में लगवा ग्राम हिम्मतगढ के ख.नं. 656 व 657 से होकर पहूँच हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता बना हुआ है। प्रार्थीया वर्षो से इसी वैकल्पिक पहूँच मार्ग को उपयोग करती आ रही है जिसका उल्लेख तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में भी किया गया है। प्रार्थीया केवल सुविधाजनक रास्ते के लिए अप्रार्थीगण की भूमि से नवीन रास्ता चाह रही है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की भूमि की सीमा पर एक प्राकृतिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:03 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

नाला बना हुआ है जो बरसात के दौरान 4-5 माह तक नियमित रूप से बहता है जिससे उक्त नाले को बंद किये बिना प्रार्थीया के खेत पर आना जाना व कृषि उपकरण ले जाना संभव नहीं है। यदि न्यायालय द्वारा प्रार्थीया को यहां होकर नीवन रास्ता दिया गया तो प्रार्थीया उक्त प्राकृतिक नाले पर पूलिया का निर्माण किये बिना मिट्टी से भराव कर इसे बंद कर देगी जिससे बरसात का पानी का बहाव अवरोधित होकर अप्रार्थीगण व अन्य पडौसी काश्तकारों के खेतो में इकटठा होकर फसल को नष्ट कर देगा। परिणामतः अप्रार्थीगण व अन्य काश्तकारों को अपूरनीय क्षति कारित होगी। आगे तर्क किया कि ख.नं. 318 व 319 की मेड पर होकर भी वर्तमान में कोई रास्ता मौके पर बना हुआ नहीं है और न ही उनके खातेदारो को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थीया की आराजी तक पहूँच हेतु ग्राम हिम्मतगढ के ख.नं. 656 व 657 पर होकर मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने एवं प्रार्थी के खेत की सीमा पर बने प्राकृतिक नाले का बहाव अवरूद्ध होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे।

8. अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा पुनः तर्क किया कि धारा 251 ए के अधीन केवल दूसरे राजस्व ग्राम की भूमि से होकर रास्ता नहीं दिया जा सकता है। ख.नं. 656 व 657 राजस्व ग्राम हिम्मतगढ में स्थित है जबकि प्रार्थीया की भूमि राजस्व ग्राम फतेहगढ में स्थित है। पहले प्रार्थीया की भूमि ख.नं. 292/1090 पर ग्राम हिम्मतगढ के ख.नं. 656 व 657 के खातेदार किशनलाल ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था और इसलिए वह प्रार्थीया की इस कब्जाशुदा आराजी पर अपनी भूमि 656 व 657 से होकर आया जाया रकता था लेकिन बाद में प्रार्थीया ने सक्षम न्यायालय के निर्णय से अपनी भूमि का कब्जा ले लिया तो आने जाने पर रास्ता भी बंद हो गया। अभिभाषक अप्रार्थीगण ने इसका विरोध करते हुए कथन किया कि प्रार्थीया को न्यायालय से कोई कब्जा नहीं मिला था। प्रार्थीया ने किशनलाल के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट मांगीबाई बनाम किशनलाल 2018 में पेश किया था जिसे न्यायालय द्वारा खारीज [illegible] गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

9. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली अवलोकन व मनन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना जरूरी हैः–

(i) <u>रिकार्डेड व वैकल्पिक रास्ता नहीं होना</u> – प्रार्थीया द्वारा पेश ग्राम फतेहगढ की जमाबंदी सं. 2073–76 के अनुसार आराजी ख.नं. 292/1090 रकबा 0.4173 है. प्रार्थी की सहखातेदारी हिस्सा 1/2 में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीया द्वारा पेश ग्राम फतेहगढ का खसरा नक्शा दिनांक 04.03.2021 एवं तहसीलदार की मौका रिपोर्ट कमांक 1406 दिनांक 10.12.2024 में नक्शा किश्तवार के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर पहूॅच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई भी रिकार्डेड रास्ता दर्ज रिकार्ड नहीं है। अप्रार्थीगण ने भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया की आराजी तक पहूॅच हेतु रिकार्डेड रास्ता होने के संबंध में कोई अंकन नहीं किया है। **अतः साबित है कि प्रार्थीया की आराजी पर पहूॅच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।**

(ii) <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– यह साबित है कि प्रार्थीया की आराजी पर पहूॅच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। अभिभाषक प्रार्थीया का कथन है कि वह अभी तक अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 1227/292 के मध्य से बनी मेड से होकर ख.नं. 317 व 318 की दक्षिण मेड से होकर अस्थायी रूप से फसल काश्त हेतु आता जाता रहा है लेकिन कुछ समय पहले अप्रार्थीगण द्वारा उक्त अस्थाई रास्ते को बंद कर दिया गया जिससे प्रार्थीया की भूमि पडत पडी हुई है। **तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार फतेहगढ की ओर से ख.नं. 318 व 328 की पूर्वी मेड तक मौके पर रास्ता बना होना व चालू होना जाहिर होता है। हिम्मतगढ की ओर से भी ख.नं. 656 से आगे ख.नं. 655 व 658 में होकर मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होना जाहिर होता है।** तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया की भूमि पर पहले किसी अन्य व्यक्ति किशनलाल का कब्जा होने से पडत पडी हुई थी। प्रार्थीया एक काश्तकार है लेकिन रास्ता नहीं होने से मजबूरन भूमि को पडौसी काश्तकारों को पांति पर देना पड रहा है जिससे प्रार्थीया के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। अभिभाषक [illegible] का कथन है कि प्रार्थीया ग्राम हिम्मतगढ की ओर से ख.नं. 656 व 65[illegible] होकर आ जा सकती है। नये रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सही है कि प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:03 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। प्रार्थीया की आराजी तक पहूँच हेतु मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता – हिम्मतगढ की ओर से या फतेहगढ की ओर से – मौके पर बना हुआ नहीं है। पहूँच हेतु रिकार्डेड रास्ते और मौके पर वैकल्पिक रास्ते के अभाव में नवीन रास्ते की आवश्यकता सही जाहिर होती है। **अतः साबित होता है कि वर्तमान में प्रार्थीया को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की नितान्त आवश्यकता है।**

(iii) सबसे लघुतम रास्ता होनाः– प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 1227/292 के मध्य की मेड से होकर ख.नं. 317 व 318 की दक्षिण मेड तक रास्ता चाहा है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम रास्ता है या नहीं– इस संबंधस में प्रार्थीया द्वारा कोई अंकन नहीं किया गया है। तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट क्रमांक 1406 दिनांक 10.12.2024 में भी लघुत्तम पहूँच मार्ग के संबंध में कोई अंकन नहीं किया गया है। ग्राम फतेहगढ के ख.नं. 316 की किस्म गे.मु.रास्ता है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार ख.नं. 318 व 328 की पूर्वी मेड पर मौके पर रास्ता बना हुआ है। अतः रिकार्डेड रास्ते ख.नं. 316 से प्रार्थीया की भूमि ख.नं. 292/1090 तक पहूँच हेतु पूर्व से पश्चिम की ओर तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शा मौजा फतेहगढ दिनांक 06.12.2024 में ख.नं. 1227/292 में लाल स्याही से डॉट डॉट के रूप में दर्शाये गये रास्ते के नीचे दक्षिण में दिये जाने वाला रास्ता ही लघुत्तम रास्ता होगा। उक्त रास्ते के लम्बाई का तहसीलदार रिपोर्ट में कोई अंकन नहीं है। धारा 251 ए आर. टी.एक्ट के अधीन लघुत्तम पहूँच मार्ग दिये जाने के प्रावधान है।

(iv) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः–प्रार्थीया अपनी आराजी ख0नं0 292/1090 तक पहुंच [illegible] के ख.नं. 1227/292 से होकर दिये जाने [illegible] नवीन रास्ते में [illegible] वाली भूमि का वर्तमान डीएलसी की दुगनी दर से क्षतिपूर्ति [illegible] हेतु सहमत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का ग्राम फतेहगढ तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 292/1090 तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 1227/292 से होकर नवीन रास्ता कायम किये जाने के संबंध में प्रार्थीगण का अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम फ़तेहगढ तहसील रायपुर के ख.नं. 292/1090 तक पहूँच हेतु तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 10.12.2024 के साथ संलग्न नजरी नक्शा मौजा फतेहगढ दिनांक 06.12.2024 में अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 1227/292 में लाल स्याही से डॉट डॉट के रूप में दर्शाये गये रास्ते के नीचे पूर्व से पश्चिम की ओर 10 फीट चौडा नवीन रास्ता— रास्ते के रूप में दी जाने वाली भूमि की तहसीलदार द्वारा वर्तमान डीएलसी की दुगुनी दर से गणना की गई क्षतिपूर्ति राशि प्रार्थीया द्वारा भुगतान किये जाने पर— कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। नवीन रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जावेगा। रास्ता कायम होने के बाद प्रार्थीया ख.नं. 1227/292 एवं 292/1090 की सीमा पर बने प्राकृतिक नाले के बहाव में कोई परिवर्तन नहीं करके पर्याप्त आकार का निकासी पाईप लगाकर ही उपयोग ले ताकि अप्रार्थीगण की फसल को बरसात में क्षति नहीं होवें।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.04.28 17:55:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner